नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 9-41/2013/ज.नि./42.-छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) की धारा 27 की उपधारा (2) सहपठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाये गये निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (शिकायत निवारण तंत्र) विनियम, 2014

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रयुक्ति

1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (शिकायत निवारण तंत्र) विनियम, 2014 कहलायेंगे।

1.2 ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

1.3 ये निम्नलिखित पर लागू होंगे :-

(क) जिला प्राधिकरण, या राज्य प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) (जिसे यहां इसके आगे "अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी, या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के किसी निर्णय, आदेश या कार्यवाही से व्यथित कौशल विकास हेतु आवेदक या कौशल विकास हेतु नामांकित व्यक्ति; और

(ख) मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा जिला प्रधिकरण के किसी निर्णय या आदेश या कार्यवाही से व्यथित कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता या तृतीय पक्ष मूल्यांकक :

परंतु यह कि "व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता" पद में ऐसे सभी व्यक्ति, निगमित निकाय अथवा व्यक्तियों के समूह जिनके संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) विनियम, 2013 प्रयुक्त हैं सम्मिलित होंगे :

परंतु यह और कि "तृतीय पक्ष मूल्यांकक" पद में ऐसे सभी व्यक्ति तथा निगमित निकाय जिनके संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष मूल्यांकक) विनियम, 2014 प्रयुक्त हैं, सम्मिलित होंगे।

2. कौशल विकास हेतु आवेदक या नामांकित व्यक्ति की शिकायत का निवारण (प्रतितोषण)

2.1 अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए-

(क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी वह प्राधिकारी होगा जिसे जिला प्राधिकरण, या राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पदाभिहित किसी अधिकारी, या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के निर्णय, आदेश या कार्यवाही से व्यथित कौशल विकास हेतु आवेदक या कौशल विकास हेतु नामांकित व्यक्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा; और

(ख) राज्य सरकार के जनशक्ति नियोजन विषय पर कार्य का संपादन करने वाले विभाग का भारसाधक सचिव पुनर्विलोकन प्राधिकारी होगा।

3. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता या तृतीय पक्ष मूल्यांकक की शिकायतों का निवारण (प्रतितोषण)

3.1 अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के प्रयोजन के लिए-

(क) राज्य सरकार के जनशक्ति नियोजन विषय पर कार्य का संपादन करने वाले विभाग का भारसाधक सचिव वह प्राधिकारी होगा जिसे, यथास्थिति, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जिला प्रधिकरण, के किसी निर्णय, आदेश या कार्यवाही से व्यथित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता या तृतीय पक्ष मूल्यांकक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा; और

(ख) कार्यकारिणी समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित उप-समिति पुनर्विलोकन प्राधिकारी होगी।

4. शिकायत के निवारण (प्रतितोषण) के लिए इलेक्ट्रॉनिक रीति से अभ्यावेदन की प्रस्तुति

4.1 इन विनियमों के अधीन शिकायत के निवारण (प्रतितोषण) के लिए सक्षम प्राधिकारी या पुनर्विलोकन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाला अभ्यावेदन राज्य प्राधिकरण की वेबसाईट पर इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध इंटरनेट आधारित सूचना प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक रीति से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

Naya Raipur, the 8th August 2014

NOTIFICATION

No. F. 9-41/2013/MPP/42.—The following Regulations made by the Chhattisgarh State Skill Development Authority, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 17 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), are hereby published for information of the public.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMRITA BECK, Deputy Secretary.

Chhattisgarh State Skill Development Authority (Grievance Redressal Mechanism) Regulations, 2014

1. **Short title, commencement and application**

1.1 These Regulations may be called Chhattisgarh State Skill Development Authority (Grievance Redressal Mechanism) Regulations, 2014.

1.2 These shall take effect from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 These shall apply to the following:—

(a) Any applicant for skill development or person enrolled for skill development, aggrieved by a decision, an order or an action on the part of a District Authority, or an officer designated by the State Authority under sub-section (1) of section 4 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013) (hereinafter referred to as the "Act"), or a Vocational Training Provider; and

(b) Any Vocational Training Provider or Third Party Assessor aggrieved by a decision or an order or an action on the part of the Chief Executive Officer or a District Authority:

Provided that the expression "Vocational Training Provider" shall include all persons, Body Corporates or groups of persons in relation to whom the Chhattisgarh State Skill Development Authority (Vocational Training Provider) Regulations, 2013 apply:

Provided further that the expression "Third Party Assessor" shall include all persons and Body Corporates to whom the Chhattisgarh State Skill Development Authority (Third Party Assessor) Regulations, 2014 apply.

2. Redress of grievances of an applicant or person enrolled for skill development

2.1 For the purposes of sub-section (1) of section 17 of the Act, —

(a) the Chief Executive Officer shall be the authority to whom an applicant for skill development or person enrolled for skill development aggrieved by a decision, an order or an action on the part of a District Authority, or an officer designated by the State Authority under sub-section (1) of section 4 of the Act, or a Vocational Training Provider, may represent; and

(b) the Secretary to the State Government in charge of the Department dealing with business on the subject of manpower planning shall be the reviewing authority.

3. Redress of grievances of a Vocational Training Provider or Third Party Assessor

3.1 For the purposes of sub-section (2) of section 17 of the Act—

(a) the Secretary to the State Government in charge of the Department dealing with business of the subject of manpower planning shall be the authority to whom a Vocational Training Provider or a Third Party Assessor aggrieved by a decision or an order or an action on the part of the Chief Executive Officer or a District Authority, as the case may be, may represent; and

(b) a sub-committee constituted for this purpose by the Executive Committee shall be the reviewing authority.

4. Submission of representation through electronic means for redress of grievances

4.1 The representation to be submitted before the competent authority or reviewing authority for redress of grievances under these Regulations may be submitted through electronic means through Internet based information system available for this purpose on the website of the State Authority.